रखाव लागत निकल आए तथा पूंजीगत लागत का कुछ हिस्सा वसूल हो जाए आशा की जाती कि राज्य सरकारें मामले पर आगे कार्यवाही करेंगी ।

Corruption in Recruitment in HFC unit at Barauni

1633. SHRI SUKOMAL SEN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several MPs and some trade unions have complained against corruption in the matter of recruitment in the Hindustan Fertilizer Corporation (H.F.C.) unit at Barauni ;

(b) if so, what are the details thereof ;

(c) whether any enquiry has been instituted into the matter ;

(d) if so, the names and designations of Officers who are conducting the enquiry ; and

(e) whether the enquiry report has been submitted and if so, what are the contents of the report ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS (SHRI K. NATWAR SINGH) : (a) to (e) Yes, Sir. A number of complaints have been received about the alleged irregularities in the recruitment of Mazdoors in the Barauni Unit of Hindustan Fertilizer Corporation Ltd. (HFC). The HFC managment asked S/Shri S.M. Bhatnagar, Senior Vigilance Officer and R.Bhatia, Senior Personnel Officer of the Corporate Office to conduct an enquiry into the matter. The preliminary enquiry reports does not substantiate any irregularity.

बैलों की कमी

1634. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जनवरी-मार्च, 1986 की पत्रिका "ग्राम-शिल्प" में "बैलों की जरुरत है" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि देश में कुल कृषि योग्य भूमि 4 हजार करोड़ एकड़ है, जिसकी जुताई के लिए 4 करोड़ हलों अर्थात् आठ करोड़ बैलों, बैलगाड़ी खींचने के लिए 1.70 करोड़ बैलों तथा ग्रामीण उद्योग चलाने के लिए 2.80 करोड़ बैलों की आवश्यकता है ;

(ख) क्या यह सच है कि 12.50 करोड़ बैलों की आवश्यकता है, परन्तु केवल 7.33 करोड़ बैल ही उपलब्ध हैं तथा इस अंतर को कम करने की अपेक्षा काफी संख्या में बैलों को काटा जा रहा है ; और

(ग) खेती के लिए कितने बैल उपलब्ध हैं और कितने प्रतिवर्ष काट जाते हैं, और बैलों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) यदि यह मान लें कि 0.8 हार्स पावर प्रति हेक्टर (राष्ट्रीय कृषि आयोग, 1976 . की जरुरत होती है तो देश की कुल कृष्य भूमि (1982–83) के 1559 लाख हेक्टार में कृषि कार्यों के लिये 1247.2 लाख हार्स पावर की कुल जरुरत होने का अनुमान है । कृषि उपकरण और मशीनरी संबंधी कार्यदल की सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये तैयार की जाने वाली रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि कृषि कार्यों में पशु-शक्ति का हिस्सा केवल 33.62 प्रतिशत है । इसके फलस्वरूप, पशुओं का योगदान केवल 419.3 लाख हार्स पावर ही होने की सम्भावना है । एक बैल 0.5 हार्स

पावर के बराबर होता है, इसलिये सम्भवतया 835.4 लाख काम करने वाले गोपशु (पशुधन संगणना 1977) देश की पशु-शक्ति की जरुरत पूरी कर सकेंगे।

गोपशुओं का संरक्षण एक ऐसा मामला है जिस पर कानून बनाने की शक्ति केवल राज्य विधान मण्डलों के पास है। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, दादर व नगर हवली, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में गायों और उनके बछड़-बछड़ियों का वध करने पर रोक या प्रतिबन्ध लगाने के कानून हैं। जो गोपशु प्रजनन या काम के लिये ठीक हों, उनका वध करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

Allotment of Flats in Vasant Kunj by DDA

1635. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Delhi Development Authority propose to allot flats constructed in Vasant Kunj, Block 'C' New Delhi.

(b) if not the reasons therefor; and

(c) by when flats in 'C' Block in Vasant Kunj are proposed to be allotted ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The flats are expected to be completed during January to March, '88 and will be allotted thereafter.

बरौनी ऊर्वरक कारखाने में नियुक्तियों में बरती गई अनियमितताएं

1636. **श्री कैलास पति मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी उर्वरक संयंत्र में तृतीय तथा पांचवी श्रेणी में 173 व्यक्तियों और विश्लेषकों के 6 पदों की नियुक्तियों में बरती गई अनियमितताओं के संबध में बेगुसराय के मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने 5 अप्रैल, 1986 और 26 मई, 1986 को निर्णय लिया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

ऊर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) दो उम्मदवारों, ने, जिन्हें हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन (एचएफसी) के बरौनी एकक में मजदूर के पद के लिए नहीं चुना गया था, मुन्सिफ न्यायाधीश बेगुसराय के न्यायालय में स्थगन आदेश के लिए याचिका दायर की है। प्रार्थना को न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

बरौनी एकक में विश्लेषक के पद के लिए न चुने गये उम्मीदवारों में से एक ने विभिन्न आधारों पर विश्लेषकों के चयन को चुनौती दी है। न्यायालय ने एचएफसी को विश्लेषक का एक पद खाली रखने के लिए निर्देश दिये हैं ताकि जब और जैसे मुद्दई मुकदमें में सफल हो तो उसे वह पद उपलब्ध किया जा सके, एचएफसी ने जिला न्यायाधीश बेगुसराय के न्यायालय में अपील की है।

बरौनी ऊर्वरक संयंत्र से यूरिया का गायब हो जाना

1637. **श्री कैलास पति मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई, 1986 के आर्यवर्त तथा प्रदीप और 25 जून, 1986 के "आज" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि मार्च, 1985 से अगले सात माह की अवधि के दौरान बरौनी उर्वरक संयंत्र से 7,000 मीटरी, टन यूरिया गायब हो गया ; और